

प्रेषक,

अरुण कुमार सिंह

अपर मुख्य सचिव

सेवा में,

मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर/रौंछी/हजारीबाग/  
मुख्य अभियंता (यॉ0), जल संसाधन विभाग संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक  
अभियंता/संबंधित निकासी एवं एवं व्ययन पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग झारखंड रौंछी।

रौंछी, दिनांक 05-4-2019

विषय :- वित्तीय वर्ष 2019-20 के मांग संख्या- 49 जल संसाधन विभाग, मुख्य शीर्ष-2701- मध्यम सिंचाई उप मुख्य शीर्ष-03-मध्यम सिंचाई-वाणिज्यिक, लघु शीर्ष-001 निदेशन तथा प्रशासन, उप शीर्ष-06-छोटानागपुर एवं संथाल परगना सिंचाई परियोजना मद के अंतर्गत व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2019-20 में बजट मुख्य शीर्ष 2701- मध्यम सिंचाई के अंतर्गत परिशिष्ट-I में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष/विस्तृत शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्रमांक	मांग संख्या/मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	आवंटित राशि (लाख ₹ में)
1	2	3	4	5
1.	मांग संख्या 49 जल संसाधन विभाग/ 2701-मध्यम सिंचाई	03 मध्यम सिंचाई वाणिज्यिक	001-निदेशन तथा प्रशासन/ 06-छोटानागपुर एवं संथाल परगना सिंचाई परियोजना	<b>4823.150</b>

कुल आवंटित राशि -

रुपये अढ़तालीस करोड़ तेईस लाख पन्द्रह हजार मात्र

- आवंटित राशि वित्तीय वर्ष 2019-20 के बजट उपबंध राशि ₹ 8416.86 लाख (चैरासी करोड़ सोलह लाख छियासी हजार मात्र) के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि की निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि.) दि. 15.07.2003 1362 दि. 09.05.2016 2747(वि.) दि. 19.09.2016 के आलोक में होगा।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
- आवंटित राशि से दिनांक 15.11.2000 के पूर्व का बकाया वेतनादि के अनुमान्य राशि का भुगतान उक्त इकाई में आवंटित राशि से ही किया जायेगा।
- जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उक्त मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष का विस्तृत उल्लेख के साथ मुहर तैयार कर व्यवहार करेंगे ताकि महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखा संधारण में किसी तरह की भूल न हो सके।



( राजेन्द्र प्रसाद )  
उप सचिव (अभि.)




(रमेश कुमार दूबे)  
विशेष सचिव



7. प्रत्येक निकासी एवं व्यय पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जबाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
8. सेवानिवृत्त कर्मियों को अनुमान्य एकमुश्त स्थानान्तरण अनुदान और पैकिंग भत्ता, वित्त विभाग का पत्रांक-170 दिनांक-01.04.2014 से प्राप्त निदेश के अनुरूप की जायगी।
9. वित्त विभाग के पत्रांक-29/बी०टी०ई०-18/2014.-15/300 दिनांक-30.03.2015 के आलोक में 15.11.2000 के बाद के बकाया वेतन एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान वेतन मद में उपबंधित राशि से किया जायेगा।
10. मकान किराया भत्ता मद में आवंटित राशि का भुगतान नियमानुसार सक्षम स्तर से किराया निर्धारण तथा अन्य संबंधित आवश्यक अभिलेखों की उपलब्धता के उपरांत ही अनुमान्य राशि तक सीमित कर किया जाएगा।
11. यदि आवंटित राशि अपर्याप्त महसूस हो तो राशि के व्यय का पूर्ण औचित्य तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ राशि की मांग करेंगे। ध्यान रहे कि जिस कार्यालय से व्यय का पूर्ण औचित्य प्राप्त नहीं होगा अतिरिक्त राशि का आवंटन नहीं दिया जायेगा। अतिरिक्त आवंटन की अधियाचना के विरुद्ध आवंटन तभी निर्गत किया जायेगा जब पूर्व निर्गत आवंटन के विरुद्ध शत-प्रतिशत व्यय सुनिश्चित कर लिया जायेगा।
12. यदि किसी इकाई में आवंटित राशि (वेतन छोड़ कर) का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरिक्त राशि का तुरंत प्रत्यार्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यार्पण **Online** किया जाय साथ ही पूर्ण प्रत्यार्पण प्रतिवेदन इकाईवार हार्ड कापी में **Acces No** एवं **Revoke No** का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।
13. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
14. प्रत्येक निकासी एवं व्यय पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
15. देशीय यात्रा व्यय मद में उपलब्ध कराये गये आवंटन से लंबित स्थानान्तरण यात्राभत्ता का भुगतान प्रथमतः सेवानिवृत्त कर्मियों को सेवानिवृत्ति की तिथि को आधार मानते हुए कालानुक्रमिकानुसार किया जाय। तत्पश्चात् अन्य स्थानान्तरण यात्राभत्ता का भुगतान कालानुक्रमिकानुसार (**chronological order**) किया जाय।
16. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 मार्च 2020 से पूर्व तक निश्चित रूप से कर देंगे।


नोट : यह आवंटनादेश जलसंसाधन विभाग के वेब साइट ( <http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।  
अनु. :- यथोक्त

  
(अरुण कुमार सिंह) 4-4-19  
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :- 05

रॉची, दिनांक :- 05-4-2019

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड पो. - हिन्नु, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, रॉची/डोरंडा/मेदिनीनगर/हजारीबाग/देवघर/चाईबासा/गढ़वा/ पलामु/जमशेदपुर/ गिरीडीह सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।  
अनु. :- यथोक्त

  
(अरुण कुमार सिंह) 4-4-19  
अपर मुख्य सचिव


ज्ञापांक :- 05

रॉची, दिनांक :- 05-4-2019

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव, योजना-सह-वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/ अभियंता प्रमुख I एवं II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.), रॉची/संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग को पाँच प्रति/कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग, प्रमंडल-3, को Online Sanction निर्गत करने हेतु/प्रशाखा-7 को पाँच अतिरिक्त प्रतियों में/अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग/सांख्यिकी पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।  
अनु. :- यथोक्त

(राजेन्द्र प्रसाद)  
उप सचिव (अभि.)

(रमेश कुमार दूबे)  
विशेष सचिव

  
(अरुण कुमार सिंह) 4-4-19  
अपर मुख्य सचिव



मांगा संख्या-49-जल संसाधन विभाग

मुख्य शीर्ष-2701-मध्यम सिंचाई/उप मुख्य शीर्ष-03-मध्यम सिंचाई-वाणिज्यिक

लघु शीर्ष-001-निर्देशन तथा प्रशासन/उप शीर्ष-06-खोदानागपुर एवं संधाल परगना सिंचाई परियोजना

पत्रांक: 05 दिनांक: 05-4-2019 को अनुदानक

पशिष्ट I

क्र० सं०	वित्तीय वर्ष 2019-2020	विरुद्ध शीर्ष-01-वैतन एवं भत्ते				विरुद्ध शीर्ष-02-यात्रा व्यय				विरुद्ध शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय							विरुद्ध शीर्ष-04-मोटरगाडियां		विरुद्ध शीर्ष-07-अन्य व्यय		राशि लाख रुपये में	अभियुक्ति
		वैतन	15.11.2000 के पूर्व का बकाया	वैतन	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	किराया/दरू कर	आपूर्ति एवं सामग्री	दूरभाष	वर्दी	विद्युत व्यय	इंजन एवं मरम्मत	विविध प्रभार	कुल योग								
1	2	3	6	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15							
1	मुख्य अभियंता जलसंसाधन विभाग, मेदिनीनगर	109.000	0.000	0.000	0.300	0.400	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.500	0.000	110.300								
2	मुख्य अभियंता जलसंसाधन विभाग, हजारीबाग	42.000	0.000	0.000	0.300	0.400	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.500	0.000	43.300								
3	औरंगा निर्माण अंचल, मेदिनीनगर	76.000	0.000	0.000	0.200	0.300	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.400	0.000	76.950								
4	कदवन बांध अंचल, गढ़वा	91.000	0.000	0.000	0.200	0.300	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.400	0.000	91.950								
5	जलपथ अंचल, गढ़वा	60.000	0.000	0.000	0.200	0.300	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.400	0.000	60.950								
6	रूपांकण आयोजन एवं मोनिंग अंचल , मेदिनीनगर	85.000	0.000	0.000	0.200	0.300	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.400	0.000	85.950								
7	अग्रिम योजना प्र०, पलामू	56.000	0.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.300	0.000	56.800								
8	अनुसंधान प्रमंडल, गढ़वा	122.000	0.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.300	0.000	122.800								
9	आयोजन एवं मोनिंग प्रमंडल,मेदिनीनगर	160.000	0.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.300	0.000	160.750								
10	औरंगा निर्माण प्रमंडल, पाकी पलामू	121.000	0.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	121.500								
11	कदवन बांध प्रमंडल ,नगर डेंदरी गढ़वा	132.000	0.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.300	0.000	132.800								
12	कोनार नहर प्रमंडल, डुमरी	182.000	0.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	182.500								
13	कोनार नहर प्रमंडल, बगोदर	158.000	0.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.300	0.000	158.750								
14	कोनार नहर प्रमंडल, बनासो	140.000	0.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	140.500								
15	गुण नियंत्रण प्रमंडल, मेदिनीनगर	100.000	0.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.300	0.000	100.750								
16	गुण नियंत्रण प्रमंडल, हजारीबाग	55.000	0.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.300	0.000	55.800								
17	जलपथ प्रमंडल, गढ़वा	185.000	0.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.300	0.000	185.800								

(राजेश प्रसाद)  
उप सचिव (अभिनो)

(रमेश कुमार दूहे)  
विशेष सचिव

(अरुण कुमार सिंह)  
अपर मुख्य सचिव

क्र० सं०	वित्तीय वर्ष 2019-2020	वित्तल शीर्ष-01-वेतन एवं भत्तों	वित्तल शीर्ष-02-यात्रा व्यय	वित्तल शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय										वित्तल शीर्ष-04-मोटरगाड़ियां	वित्तल शीर्ष-07-विशिष्ट प्रभार	राशि लाख रुपये में	
		वेतन	पूर्व का बकाया	देवगिरी	देवगिरी	कार्यालय	किराया, रेंट	आपूर्ति एवं	दूरभाष	वर्दी	विद्युत व्यय	मोटरगाड़ियां	इंधन एवं	मरम्मत	विशिष्ट प्रभार	कुल योग	अभिव्यक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
18	जलपथ प्रमंडल, चार्डवाला	287.000	0.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	287.500	
19	जलपथ प्रमंडल, बरही	294.000	0.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	294.450	
20	जलपथ प्रमंडल, मोदिनीनगर	228.000	0.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.300	0.000	0.000	0.000	228.750	
21	जलपथ प्रमंडल, पौली	404.000	0.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	404.500	
22	जलपथ प्रमंडल, विष्णुपुर, पाटन	78.000	0.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.300	0.000	0.000	0.000	78.750	
23	जलपथ प्रमंडल, इजारीबाग	252.000	0.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.300	0.000	0.000	0.000	252.800	
24	पुनर्वास पदा० ३० कोयल परियोजना, मोदिनीनगर	108.000	0.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	108.500	
25	यादिक प्रमंडल, बनासो इजारीबाग	136.000	0.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.300	0.000	0.000	0.000	136.750	
26	रुपाका एवं मोति० प्र०, इजारीबाग	25.000	0.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	25.500	
27	रुपाका प्रमंडल सं-1, मोदिनीनगर	226.000	0.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	226.450	
28	रुपाका प्रमंडल सं-2, मोदिनीनगर	215.000	0.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	215.500	
29	वित्त पदा०, स्वयंसेवा परि०, जमशेदपुर	59.000	0.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	59.450	
30	विशेष नू-अर्जन पदा०उत्तर कोयल परि० मोदिनीनगर	126.000	0.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.300	0.000	0.000	0.000	126.800	
31	सिवाई प्रमंडल, डुडू	316.000	0.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	316.500	
32	सिवाई यादिक प्रमंडल, मंडल, (लातेहार) सिधिर मोदिनीनगर	172.000	0.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.300	0.000	0.000	0.000	172.800	
	आवंटन का योग	4800.000	0.000	0.000	6.600	8.500	0.000	0.000	1.250	0.000	0.000	6.800	0.000	0.000	0.000	4823.150	

(राजेश प्रसाद)  
उप सचिव (अभि.)

(रमेश कुमार ठाकुर)  
विशेष सचिव

(अरुण कुमार सिंह)  
अपर मुख्य सचिव

आवंटित राशि - रुपये अठ्ठातीस करोड़ तेईस लाख पन्द्रह हजार मात्र

4-4-19